न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या: 254/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/363)

वादी बनाम	प्रतिवादीगण
...न्द्र कुमार पुत्र इन्द्रजीत कुक्कड जाति ...ाजन निवासी वार्ड नम्बर 3 केसरीसिंहपुर ...सील श्रीकरणपुर।	1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर। 2. आशा रानी कुक्कड पत्नी शामलाल उर्फ श्याम सुन्दर जाति महाजन निवासी गजनेर रोड बीकानेर। 3. उषा कुक्कड पत्नी सुरेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी गजनेर रोड बीकानेर। 4. चिनार कुक्कड पुत्री देवेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी गजनेर रोड बीकानेर। 5. चिराग कुक्कड पुत्र देवेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी गजनेर रोड बीकानेर। 6. दिक्षा कुक्कड पत्नी विष्वास कुक्कड जाति महाजन निवासी गजनेर रोड बीकानेर। 7. विशाल कुक्कड पुत्र सुरेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी गजनेर रोड बीकानेर। 8. संगीता कुक्कड पत्नी देवेन्द्र कुमार जाति महाजन निवासी गजनेर रोड बीकानेर। 9. साक्षी जग्गा पुत्री शामलाल उर्फ श्यामसुन्दर जाति महाजन निवासी गजनेर रोड बीकानेर। 10. सोनिया मुंजाल पुत्री शामलाल उर्फ श्यामसुन्दर जाति महाजन निवासी गजनेर रोड बीकानेर। 11. ओमप्रकाश पुत्र कुन्दन लाल जाति महाजन निवासी गजनेर रोड बीकानेर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 25.07.2025

...थत:1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

दिनांक: 21.08.2025

——निर्णय——

... संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 6 वीं, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 112/110 के मुरब्बा नम्बर 71, 77, 90/32 की कुल 7.157 हैक्टेयर भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 ने आपसी सहुलियत के अनुसार सहमति से घरू वाहमी बंटवारा किया हुआ है। घरू वाहमी बंटवारानामा अनुसार ही वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 अपने-अपने रकबा पर पिछले काफी समय काश्त करते आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 अपने-अपने रकबा पर काबिज अवश्य है। लेकिन दोनो का कब्जा काश्त के अनुसार रकबा अंकित नहीं है। हालांकि वादी ने कब्जा काश्त की भूमि को काफी मेहनत से भूमि को समतल करके, उसमें कई सुविधाओ का निर्माण किया है। वादी का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है, लेकिन राजस्व अभिलेख में मुताबिक कब्जा काश्त के रकबा अंकित नहीं है। आज से 5 रोज पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के समक्ष उपस्थित होकर, सहमति से राजस्व अंकन करवाने हेतु निवेदन किया, लेकिन उसके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 6 वीं, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 112/110 के मुरब्बा नम्बर 71, 77, 90/32 की कुल 7.157 हैक्टेयर भूमि में से वादी को वाहमी बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का अलग से लगान व खाता कायम किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के द्वारा बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रकरण में वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य दिनांक 15.07.2025 के सहमति बंटवारानामा के अनुसार वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी ... (श्रीगंगानगर)

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, सहमति बंटवारानामा दिनांक 15.7.2025 एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की अंतिम डिक्री जारी किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 6 वीं, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 112/110 के मुरब्बा नम्बर 71, 77, 90/32 की कुल 7.157 हैक्टेयर भूमि में से वादी के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
रविन्द्र कुमार पुत्र इन्द्रजीत कुक्कड जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 3 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। (3.692 हैक्टेयर)	6 वीं	71	1	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
			2	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
			3	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
			8 ता 12	1.265 हैक्टेयर	नहरी	9.50
			13/1	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
			18,19,20	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
			21/1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
			22/1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
			23/1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
		90/32		0.076 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

खाते एवं रहन बदस्तूर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। सहमति बंटवारानामा **क 15.07.2025 निर्णय का एक भाग माना जाएेगा।** स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर लीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

रविन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार आदि
धारा अन्तर्गत **53** आरटीए मुकदमा नम्बर **254/2025**
निर्णय दिनांक :-21.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता **श्री इन्द्राज सेजू** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम 6 वीं, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 112/110 के मुरब्बा नम्बर 71, 77, 90/32 की कुल 7.157 हैक्टेयर भूमि में से वादी के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	रविन्द्र कुमार पुत्र इन्द्रजीत कुक्कड जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 3 केसरीसिंहपुर तहसील श्रीकरणपुर। (3.692 हैक्टेयर)	6 वीं	71	1	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
				2	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
				3	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
				8 ता 12	1.265 हैक्टेयर	नहरी	9.50
				13/1	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.70
				18,19,20	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.70
				21/1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
				22/1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
				23/1	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.71
			90/32		0.076 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। सहमति बंटवारानामा दिनांक 15.07.2025 निर्णय का एक भाग माना जाएगा।

आज दिनांक 22.08.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	300	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	304	**00**	**योग**	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

क्रमांकः रीडर/ 2025/ 640
दिनांकः 22.08.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner